



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: Plex/Cir/423

दिनांक: 25 अगस्त 2026

को

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: प्री-शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी (पीएसआईए)/प्री-शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट (पीएसआईसी) प्रक्रिया में सुधार के संबंध में

संदर्भ: डीजीएफटी व्यापार सूचना संख्या 22/2026-27 दिनांक 25.08.2026

हम आपका ध्यान दिनांक 26 अप्रैल 2022 के व्यापार नोटिस संख्या 03/2022-23 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें डीजीएफटी ने पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआईए) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और मान्यता प्रक्रिया तथा पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाणपत्रों (पीएसआईसी) के जारी करने और सत्यापन को शुरू किया और बाद में इसमें सुधार किया। इन पहलों का उद्देश्य मैन्युअल प्रक्रियाओं को कम करना और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से पीएसआईए/पीएसआईसी मॉड्यूल को मजबूत करना था।

उपरोक्त के क्रम में, और प्रणाली में अनुपालन को और मजबूत करने, मैन्युअल हस्तक्षेप पर निर्भरता कम करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, हाल ही में जारी टीएन संख्या 22/2026-27 के अनुसार डीजीएफटी पोर्टल पर पीएसआईए/पीएसआईसी मॉड्यूल में निम्नलिखित परिवर्तन लागू किए जा रहे हैं:

1. पीएसआईसी जारी करते समय निरीक्षण की तिथि को DD/MMM/YYYY के रूप में मानकीकृत किया गया है।
2. पीएसआईसी केवल निरीक्षण की तिथि पर ही जारी किया जाएगा। सिस्टम किसी भी बाद की तिथि पर पीएसआईसी जारी करने या बनाए रखने की अनुमति नहीं देगा।
3. अधिकृत पीएसआईए उपयोगकर्ताओं के लिए हस्ताक्षर और स्टाम्प छवियों को अपलोड करने और बनाए रखने की सुविधा प्रदान की गई है। ये पीएसआईसी में स्वतः ही एम्बेड हो जाएंगी, जिससे मैन्युअल हस्ताक्षर, स्टाम्प लगाने और पुनः अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
4. पीएसआईसी जारी करते समय, निरीक्षक को सिस्टम द्वारा प्रदान की गई ड्रॉप-डाउन सूची से निरीक्षक का नाम चुनना होगा। संबंधित निरीक्षक का विवरण स्वतः ही भर जाएगा।
5. निरीक्षण के फोटो संलग्नकों की अनुमत सीमा 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है, प्रत्येक का आकार 5 एमबी है; और निरीक्षण के अनिवार्य वीडियो संलग्नक का अनुमत आकार 10 एमबी से बढ़ाकर 50 एमबी कर दिया गया है (अनुमत प्रारूप MP4, AVI, MTS, MOV, FLV, WMV ही रहेंगे)।
6. चयनित निरीक्षण देश के आधार पर, पंजीकृत उपकरण अब ड्रॉप-डाउन सूची के माध्यम से उपलब्ध होंगे। चयन करने पर, संबंधित उपकरण का विवरण सिस्टम से स्वतः प्राप्त हो जाएगा और केवल पढ़ने योग्य मोड में प्रदर्शित होगा, जिससे मैन्युअल त्रुटियां कम से कम होंगी।

सहायता चैनल

PSIA/PSIC मॉड्यूल से संबंधित मार्गदर्शन, समस्या समाधान, सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए:

- **डाजाएफटा हल्पडस्क:** डाजाएफटा वेबसाइट → सवाए → डाजाएफटा हल्पडस्क सवा क माध्यम से सेवा अनुरोध दर्ज करें।
- **हेल्पलाइन:** 1800-572-1550 / 1800-111-550
- **ईमेल:** dgftedi@nic.in

सदस्यों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक व्यापार सूचना को यहाँ देखें:

https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202608250240_59.pdf

संलग्न व्यापार सूचना संख्या 03/2022-23 दिनांक 26 अप्रैल 2022:

https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202608250243_08.pdf

यह जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल